न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

सं. 54/2020
सीएमएस : 2020/00174

1. हरबंश सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिहं माता का नाम हरभजन कौर उर्फ जसवन्तकौर जाति कश्मीरी ब्राहम्ण निवासी हाण्डा कालॉनी 22 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
2. रविन्द्र सिहं पुत्र श्री जोगेन्द्र सिहं माता का नाम हरभजन कौर उर्फ जसवन्तकौर जाति कश्मीरी ब्राहम्ण निवासी हाण्डा कालॉनी 22 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

—:प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति हरभजनकौर उर्फ जसवन्तकोर पुत्री हाकम सिहं धर्म पत्नि श्री जोगेन्द्र सिहं जाति कश्मीरी ब्राहम्ण निवासी हाण्डा कालॉनी 22 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
2. पप्पीन्द्रकौर पत्नि श्री आत्मा सिहं माता का नाम हरभजनकौर उर्फ जसवन्तकौर जाति कश्मीरी ब्राहम्ण निवासी 22 एन पी हाल निवासी अनूपगढ़ जिला श्री गगांनगर।
3. जसविन्द्रकौर पत्नि री जगजीतसिहं माता का नाम हरभजनकौर उर्फ जसवन्तकौर जाति कश्मीरी ब्राहम्ण निवासी 22 पी एस हाण्डा कालॉनी रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
4. उप पंजीयक मुकलावा तहसील रायसिंहनगर ।
5. राजस्थाना सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—:अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

तारीख रजू 14.08.2020

उपस्थित अधिवक्तागण

1. श्री आर .आर. ओझा .प्रार्थीगण अधिवक्ता.
2. श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई अप्रार्थीगण अधिवक्ता

—: निर्णय :— दिनांक :— 25.07.2024

1- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की माता श्रीमति हरभजन कौर उर्फ जसवन्तकरे पुत्री श्री हाकम सिहं के नाम वाके चक 22 एन पी तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 15 प.न. 176/326 के कि.न. 11/1, 12/2, 13/1, 14–15/2,16/2,17 में कुल 1.164 है0 यानि 4–12 बीस्वा नहरी भूमि खातेदारी है। उक्त विवादित भूमि हमारे नाना श्री हाकम सिहं पुत्र श्री मखन सिहं के नाम 22 एन पी के मु.न. 15 प.न. 176/326 के कि.न. 11 ता 25 में 5. 548 है0 नहरी भूमि मय खाला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त विवादित भूमि वाके चक 22 एन पी के मु.न. 15 प.न. 176/326 के किक.न. 11/1 से 17 में कुल 1.164है0 नहरी भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो हमारे नाना प्रतिवादी सं. 1 को विरास्त में मिली है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक सम्पति कोपासनरी (जददीजायदाद) है जिसमें हमारा जन्म से विधिक अधिकार बनता है , विवादित भूमि में हमारा ... प्रतिवादी सं. 1 से 3 का 1/5 हिस्सा प्रत्येक का बनता है। जो ... को घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है। हमने ह... काश्त बनाया है खाद डाल कर उरवर्क शाक्ति ब... अप्रार्थी ... के मन में बैजालालच आ गया है वह हमारे को बलपूर्वक बेदखल करना ... हम हिन्दु है , हिन्द्र उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार हमारे ... हमारा इक व हिस्सा बनता है। जो हम पाने के अधिकारी है। दिनांक 8.8.20 को अप्राथी सं. 1 को हमारे हिस्सा की भूमि हमारे नाम करवाने लिए कहा तो अप्रार्थी से स्पष्ट इन्कार

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:25:17 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

कर दिया व कहा कि मैं आज कल में ही आप को विवादित भूमि से बेदखल कर जबरन बलपूर्वक कब्जा लेकर अन्यत्र किसी को बेच दूंगी या मैं मालकाना कर का कब्जा करना दुंगी। जिससे आप ता जिन्दगी कब्जा नहीं छुड़ा सकोगे।अप्रार्थी अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी भरपाई मुद्राओं में नहीं आकी जा सकेगी। उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण के नाना से प्रार्थीगण की माता को विरासत मे मिली है इसलिए सुविधा व सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण्का के पक्ष में साबित है। प्रार्थना–पत्र श्रीमान के न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में पूर्ण कोट फीस पर तहरीर होकर अन्दर मियाद पेश है। न्याय हित मे ता फैसला वाद–पत्र के निर्णय तक वाके चक 22 एन पी के खातानं. 104 / 98 के प.न.176 / 326 मु.न. 15 के 1.164है0 भूमि को किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तांतरण रहन बैय करने से बाज व ममनु रहे तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोक व धारण में दखलअन्दाजी करने से बाज व ममनु रहे।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता हाजिर होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध प्रकट करते हुये कहा कि प्रार्थीगण ने वंशावली घुमा–फिराकर लिखी गई है। प्रार्थीगण को कभी भी भूमि नहीं दी गई थी तथा ये जसवन्तकोर को तंग व परेशान करता है, मारपीट करता हैं जिसका मुकदमा दिनांक 21.6. 2014 व 14.06.2017 तथा इसको बेदाल किया गया है जिसकी अखबार की कॉपी सल।गन है, एक मुकदमा 8.9.2016 को दर्ज करवाया गया था, इस प्रकार मात्र जमीन इस भूमि में बेदखल होने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अन्य तथ्य भी अस्वीकार है। वाद पत्र की मद सं. 9 अस्वीकार है, मात्र मुकदमा में बल लाने के लिए लिखी गई है, तथा उक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पास है, सुविधा का सन्तुलन , ना पूरा होने वाला नुकसान भी अप्रार्थी सं. 1ता 3 के पक्ष में है । प्रार्थी ने मात्र यह मद जमीन हड़पने के लिए लिखी है, इस पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। प्रार्थी का उक्त भूमि कमें कोई हक व अधिकार नहीं है, क्यों कि प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के साथ झगडा फसाद करता है, तथा उसके बेदखल किया गया है, अप्रार्थी सं. 1 के पास मात्र जीवनयापन के लिए इतनी ही भूमि है। प्रार्थी शातिर व बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है, इसलिए उक्त भूमि में कोई हक कव अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–सपत्र खारिज किये जाने जाने योग्य है।

3. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें बैय करने बाज व ममनु रहें ओर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने से बाज व ममनु रहे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते Signature Not Verified भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी को बेदखल है। जो शातिर व बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है। उक्त भू Digitally signed by Subhash Chandra नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा Date: 2024.08.22 12:25:17 IST

Reason: SelfAttested

4. बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि चक 22 एन पी की जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 के खाता न. 75 / 63 के प.न. 177 / 326 मु.न. 15

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

.543 है. भूमि हाकम सिहं पुत्र मखन सिहं जाति बाहम्णरिख सा. देह खातेदार है। इसी जमाबन्दी के कॉलम नं. 13–14 में नोट अंकित है कि उक्त भूमि स्तन दस्तबरदारी ई.न. 138 दिनांक 3.2.04 के द्वारा सुरजीतकौर उर्फ रजीतकोर पुत्री हाकम सिहं 2/3 हि0 तथा हर भजनकौर उर्फ जसवन्तकौर ी हाकम सिहं 1/3 हि. खातेदार ,है। इन्तकाल की प्रति भी प्रस्तुत की है। इस स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि विरास्तन में प्रार्थीया को प्राप्त हुई है। इस के ब्जन में अप्रार्थीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण में किसी भी कारान का हक व हिस्सा तय नहीं होना जो कि मूल वाद में दोनों पक्षों के क्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार पर तय किया जाना है। फिलहाल को स्थगन र्थना पत्र का ही निस्तारण किया जाना है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रथम ष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत में प्रतीत होता है तथा सुविधा का संतुलग्न प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के द्वारा बेचान कर जाती है तो इसे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थीगण को होगी जिस पूरा होने वाला नुकसान की भरपाई मुद्राओ में नहीं आकी जा सकेगी। ऐसे में र्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारिज की जाती है कि वाके चक 22 एन पी के खाता न. 104/98 के प.न. 176/326 मु.न. 15 के 1.164 है. भूमि को मूल वाद के निर्णय तक किसी अन्य को हस्तांतरण रहन बैय करने से बाज व ममनु रहे। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 25.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:25:17 IST
Reason: SelfAttested